JEECUP-2024

स्पॉट काउन्सिलिंग दिनांक 22.10.2024 एवं 23.10.2024 हेतु

संस्थाओं के लिए दिशा निर्देश

(राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में फार्मेसी पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य समस्त पाठ्यक्रमों हेतु)

शैक्षिक सत्र 2024-25 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2024 एवं काउन्सिलिंग के आधार पर प्रवेश (अन्तिम तिथि 23 अक्टूबर, 2024) के पश्चात राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओ में रिक्त रह गई सीटों पर छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु दिनांक 22.10.2024 व 23.10.2024 को केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा स्पॉट काउन्सिलिंग की व्यवस्था की गई है। यह स्पाट काउन्सिलिंग निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगी :-

1. स्पॉट काउन्सिलिंग की प्रक्रिया निःशुल्क होगी और सभी कार्य दिये गये शिड्यूल के अनुसार होंगे। स्पॉट काउन्सिलिंग में संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2024 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी ही सम्बन्धित ग्रुप के लिए अर्ह होंगे।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी समस्त चरण की काउन्सिलिंग तक राजकीय/अनुदानित/पी0पी0पी0 /निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्था में प्रवेश मिल चुका है, स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए अर्ह नही होंगे। काउन्सिलिंग प्रक्रिया से सातवें चरण तक संस्थाओं में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची jeecup.admissions.nic.in पर दिनांक 21.10.2024 से उपलब्ध रहेगी।
3. आनलाइन काउन्सिलिंग में पंचम चरण से सभी सीटें ओपेन वर्ग में हो गई हैं, अतः संस्थावार, ब्रांचवार रिक्त सीटों को ओपेन वर्ग में सम्मिलित करते हुए स्पॉट काउन्सिलिंग सम्पन्न होगी। इन सीटों का विवरण दिनांक 21.10.2024 को प्रातः 10:00 बजे परिषद की वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर उपलब्ध होगा। महिला/विकलांग संस्थान की सीटों पर महिला/विकलांग अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
4. चयन प्रक्रिया में योग्यताक्रम की सूची अभ्यर्थी की **ओपेन रैंक** से ही बनायी जायेगी।
5. काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना होगा तथा वह एक ही संस्था में आवेदन कर सकेगा।
6. राजकीय, अनुदानित एवं पी0पी0पी0 मोड के संस्थाओं के प्रधानाचार्य द्वारा स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए एक समिति बनायी जायेगी, जिसके अध्यक्ष संस्था प्रधानाचार्य होंगे तथा संस्था के वरिष्ठ अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी/प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं में प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए एक समिति बनायी जायेगी, जिसके अध्यक्ष संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक होंगे तथा संस्था के वरिष्ठ अधिकारी एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नामित एक अधिकारी /प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।
7. संस्था के सूचना पट पर पाठ्यक्रमवार रिक्तियों का विवरण दिनांक 22.10.2024 को उपलब्ध कराया जाये तथा रिक्त सीटों का संस्थावार/पाठ्यक्रमवार विवरण परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।
8. स्पॉट काउन्सिलिंग के लिए बनी समिति दिनांक 22.10.2024 को प्रातः 9:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करेंगे। आवेदन-फार्म एवं अभिलेखों की जांच दिनांक 22.10. 2024 के सांय तक किये जाने के पश्चात समस्त आवेदकों की मेरिट लिस्ट चस्पा करना अनिवार्य होगा।